भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.3400

13.03.2020 को उत्तर के लिए

अरावली वन का संरक्षण

3400. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि हरियाणा सरकार द्वारा पंजाब भू-संरक्षण अधिनियम (पीएलपीए) में संशोधन संबंधी विधेयक-2019 के कार्यान्वयन के कारण 60000 एकड़ से अधिक संरक्षित अरावली वनक्षेत्र और 10000 एकड़ के शिवालिक वनों को रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए खोला जाएगा जिससे वन्यजीव, पानी/वायु की गुणवत्ता और दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लाखों लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पीएलपीए संशोधन विधेयक, 2019 से अरावली वनक्षेत्र को बचाने के लिए कोई कार्रवाई की है या करने का विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) हरियाणा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) सं. 4677/1985 में अपने आदेश दिनांक 01.03.2019 के द्वारा हरियाणा सरकार को निर्देशित किया है कि वह न्यायालय की अनुमति के बिना संशोधित पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई करे। अत: इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है।

(ग) और (घ) चूंकि संशोधित अधिनियम अभी परिचालन में नहीं है अत: संशोधित अधिनियम का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है।

****